

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(18)नविवि/छबड़ा/2023


जयपुर, दिनांक:- 05 SEP 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को छबड़ा, जिला-बारां के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष-2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1.	छबड़ा	Chhabra
2.	आंचोली	Aancholi
3.	हनुवतखेड़ा	Hanuvatkhedra
4.	चाचोड़ा (आंशिक) (चाचोड़ा नाले के पश्चिम एवं रेलवे लाईन के दक्षिण का क्षेत्र)	Chanchooda (Partly) (Area west of chanchoda Nala & south of Railway Line)
5.	टोडी	Todi
6.	चावलखेड़ी	Chawalkhedri
7.	रीछड़ा	Reechhada
8.	बारई (आंशिक) (रेतड़ी नदी के उत्तर का क्षेत्र)	Barai (Partly) (Area north of Retri River)
9.	बिन्दाराड़ा	Bindarada
10.	कोलूखेड़ी	Kolukhedri
11.	नीमथूर	Neemthur

राज्यपाल की आज्ञा से,



(जुगल किशोर मीणा)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बारां।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. उप नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, छबड़ा, जिला-बारां।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .08.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय